

## प्रेसनोट दिनांक 06.06.2022

1. दिनांक 05.06.22 को वादी श्री अविनाश सोनकर पुत्र राजकुमार सोनकर नि० वजीरगंज थाना को०नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि श्याम सोनकर पुत्र अज्ञात नि० वजीरगंज थाना को०नगर अयोध्या आदि 06 नफर अभि०गण द्वारा वादी व परिजन को जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 436/22 धारा 147, 323, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 05.06.22 को वादी श्री देवेन्द्र सिंह प्र०नि० थाना को०नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि 1. रघुनन्दन वर्मा पुत्र सरजू प्रसाद नि० रघुराज नगर थाना वजीरगंज गोण्डा 2.संदीप वर्मा पुत्र सत्यपाल नि० ग्राम दुफेडी थाना परशरामपुर बस्ती 3.दुर्गेश कुमार पुत्र बेचनलाल नि० मझरिया थाना वाल्टरगंज बस्ती 4.श्रेयांश मिश्र पुत्र विनोद कुमार नि० बांसियारा थाना बाघराय प्रतापगढ क्रम 02 से 04 गिर० अभि०गण द्वारा अपने व अपने साथियों के आर्थिक एवं भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु धन अर्जित करने के उद्देश्य से फिरौती हेतु अपहरण जैसे जघन्य अपराध कारित करना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 437/22 धारा 3(1) यू०पी० गैगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 05.06.22 को वादी श्री मुकेश कुमार पुत्र मनीराम विश्वकर्मा नि० कटेहरी बाजार थाना अहिरौली अम्बेडकरनगर द्वारा सूचना दिया गया कि किशन गुप्ता पुत्र रामचन्द्र गुप्ता नि० तेजापुर थाना गोसाईगंज अयोध्या आदि 04 नफर अभि०गण द्वारा गाली व जानमाल की धमकी देते हुए वादी को मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 156/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 05.06.22 को वादी का० संजय भारती थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिवनारायण पुत्र कमलेश्वर नि० कौडिल्ल थाना गोसाईगंज अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद होना जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 157/22 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 05.06.22 को वादी उ०नि० श्री मुन्नीलाल चौधरी थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि उत्तम पुत्र बाबूराम नि० नगहरा अरवत थाना महाराजगंज अयोध्या अभि० के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद होना जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 204/22 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 05.06.22 को वादी श्री देवानन्द सिंह पुत्र दीपनरायण सिंह नि० मलेथू कनक थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि बृजभूषण पाण्डेय पुत्र राधेश्याम पाण्डेय नि० रामपुर परेई थाना को०बीकापुर अयोध्या। आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा वादी व परिजन को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 213/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 05.06.22 को वादी उ०नि० श्री बृजेश कुमार यादव थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अमरनाथ पुत्र बाबूलाल नि० बनकटवा थाना हैदरगंज अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने का उपकरण बरामद होना जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 126/22 धारा 60/60(2) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 05.06.22 को वादी उ०नि० श्री विनय कुमार यादव थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि शिवनारायण रावत पुत्र नान्हू रावत नि० सिधारी का पुरवा थाना खण्डासा अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 129/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।